

बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बिहार के रियल एस्टेट में निवेश करने की अपील की

रांची: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने झारखण्ड में काम कर रहे बिल्डरों से कहा है कि वे बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में निवेश करें एवं राज्य में हो रहे त्वरित विकास का लाभ लेकर आम लोगों के आवास की जरूरत को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। विवेक कुमार सिंह रेरा बिहार द्वारा रांची में आयोजित 'रेरा बिहार से रूबरू' कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में 'ईज आफ ड्रूंग बिज़नेस' से अवगत कराना था ताकि निवेशक राज्य में आकर काम करें एवं बिहार में घर अथवा प्लॉट खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के हितों के रक्षा हेतु रेरा बिहार बिहार द्वारा उठाये गए कदमों की जानकारी देना था। रूबरू कार्यक्रम प्रायः ऐसे स्थानों पर स्थानों पर किया जाता है जहां बिहार के रहने वाले घर खरीदार एवं प्रमोटर दोनों ही बड़ी संख्या में रहते हैं। आज के कार्यक्रम में झारखण्ड के विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, झारखण्ड रेरा के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण के साथ -साथ झारखण्ड राज्य में काम कर रहे बिल्डर्स एवं बिहार में घर खरीदने को इच्छुक घर खरीदारों ने भाग लिया। रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि



प्राधिकरण ने फिल्टर व्यवस्था लागू की है ताकि प्रोजेक्ट के निबंधन के लिए आवेदन देते समय उन्हें कोई कठिनाई न हो और वे आसानी से सारी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें। +अगर कोई प्रमोटर सारे कागजात सही से जमा करते हैं तो प्राधिकरण निबंधन देने में उदार रवैया अपनाता है। विवेक कुमार सिंह ने यह भी कहा कि रेरा बिहार घर खरीददारों की हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और उनके विरुद्ध किसी भी अन्याय से

सख्ती से निपटता है। रेरा बिहार द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करते हुए विकास आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि झारखण्ड रेरा को भी इस तरह के कार्य करने चाहिए ताकि घर खरीददारों के हितों की रक्षा हो सके। रेरा झारखण्ड के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण ने कहा कि रेरा बिहार द्वारा किये जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है और इस कार्यक्रम से उनके बातों को सीखने का मौका मिला और उन्हें झारखण्ड में लागू करने की कोशिश की

जायेगी। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने रेरा निबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला एवं कहा कि घर खरीदने समय इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। रेरा बिहार के सचिव अनीमेष पाण्डेय ने प्रतिभागियों की आज के कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया एवं विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश थदानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से रेरा बिहार द्वारा बनाई गई दो लघु फिल्मों भी दिखाई गईं। इस अवसर पर रेरा बिहार की एक टीम ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमोटरों को बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में मौजूद अवसरों की जानकारी दी गयी एवं रेरा बिहार द्वारा प्रमोटरों के काम को आसान करने हेतु उठाये गए कदमों की जानकारी दी गयी। प्रस्तुति में रेरा बिहार द्वारा घर खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु उठाये गए कदमों की भी विस्तृत जानकारी दी गयी। घर खरीदने वालों के लिए एक अलग प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्हें उन बिंदुओं के बारे में बताया गया, जिन पर किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें रेरा अधिनियम के बारे में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया।

खल
एन
परि
रेलवे
अवै
सध
गया
अ
गई
रूप
कोय
दौरा
अवै
दोपा
जेए
किय
को
सुपु
सीउ
भार्ग
कुम
निरी
एस.
अर्ध
इ